

## न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (10प्र0)

::आदेश ::

क्रमांक:- 15 / अ-19(3) / 2017-18 758

बैतूल दिनांक 19/01/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल के पत्र क्रमांक:-विकास/2016/29710, दिनांक 11/11/2016 द्वारा जिले के विभिन्न विकासखण्डों में नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल के उक्त पत्र की छायाप्रति जिले के समस्त तहसीलदारों की ओर भेजकर, आवेदित प्रयोजन हेतु भूमि का चयन करके भूमि आवंटन का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया।

2- उक्त पत्र के परिपालन में नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त)/अनुविभागीय अधिकारी(रा.) मुलताई द्वारा ग्राम साँईखेड़ाखुर्द तहसील मुलताई में भूमि चयन कर आवंटन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

(1)- आवेदित प्रयोजन हेतु मौजा साँईखेड़ाखुर्द तहसील मुलताई स्थित भूमि ख. नं. 311 रकबा 0.405 हेक्टे. मद घाँस का चयन किया गया एवं उक्त चयनित भूमि में से  $60 \times 60 = 3600$  वर्गफुट भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु आवंटित किए जाने के संबंध में उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई, निर्धारित समयवाधि के भीतर कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए।

(2)- दिनांक 05-12-2017 को आयोजित ग्राम पंचायत साँईखेड़ाखुर्द की बैठक में सर्वसम्मति से, मौजा साँईखेड़ाखुर्द तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 311 में उपस्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराए जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है।

(3)- वर्तमान राजस्व अभिलेख (खसरा) के अनुसार मौजा साँईखेड़ाखुर्द तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 311 रकबा 0.405 हेक्टेयर भूमि चरनोई मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1972-73 के अनुसार मौजा साँईखेड़ाखुर्द स्थित खसरा नंबर 311 रकबा 0.405 हेक्टेयर भूमि घाँस मद में दर्ज है।

(4)- नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त) द्वारा प्रकरण में अंकित प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम साँईखेड़ाखुर्द का खाते का कुल रकबा 1143.152 हेक्टेयर है, तथा ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 72.852 हेक्टेयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से ग्राम में न्यूनतम 22.860 हेक्टेयर चरनोई का रकबा उपलब्ध रहना अनिवार्य है, परन्तु ग्राम में वर्तमान में 72.852 हेक्टेयर चरनोई का रकबा उपलब्ध है, जो न्यूनतम आरक्षित रकबा से लगभग दो गुना अधिक है। ग्राम में उपलब्ध चरनोई के रकबा में से 3600 वर्गफुट भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु हस्तांतरित करने की दशा में भी चरनोई का न्यूनतम आरक्षित रकबा प्रभावित नहीं होगा।

(5)- नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई द्वारा मौजा साँईखेड़ाखुर्द तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 311 रकबा 0.405 हेक्टेयर मद घाँस में से  $60 \times 60 = 3600$  वर्गफुट भूमि आवेदित प्रयोजन हेतु आवंटित करने की अनुशंसा की गई है।

3- म0प्र0शासन, राजस्व विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ/6/52/सात-नजूल/99 दिनांक 27-1-2004 द्वारा, राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड एक क्रमांक -7 के अधीन केन्द्र शासन, राज्य शासन के विभागों, उपक्रमों स्थानीय निकायों को भूमि का आवंटन करने हेतु कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 15/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांक:- 2489 दिनांक 25-2-2017 द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड- चार -एक के अन्तर्गत शासकीय भूमि अंतरण



संबंधी समस्त प्रकरणों के निराकरण करने एवं मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने हेतु अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- अतएव नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई के उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन/ अनुशंसा के आधार पर मौजा सॉईखेड़ाखुर्द प.ह.नं.122 तहसील मुलताई स्थित भूमि 311 रकबा 0.405 हेक्टे. मद घॉस में से 60X60=3600 वर्गफुट (0.034 हेक्टेयर) भूमि जिसे नक्शे में लालस्याही से चिन्हित किया गया है, को आवादी घोषित करते हुए, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल (मध्यप्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग) को नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन हस्तांतरित की जाती है।

(1)- हस्तांतरित भूमि का उपयोग केवल आवेदित प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।

(2)- भूमि पर प्रस्तावित कार्य 6 माह के भीतर प्रारंभ किया जाकर एक वर्ष में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) शासन के प्रतिनिधि अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग हेतु तथा शर्तों के पालन का निरीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) शर्तों का उल्लंघन पाया जाने की स्थिति में भूमि वापस लेकर पूर्वानुसार शासन में निहित की जा सकेगी।



(मूलचन्द्र वर्मा)  
अपर कलेक्टर,  
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:- 15 /अ-19(3)/2017-18/ 758  
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक 19/01/2018

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई।
- 2- नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त) जिला बैतूल।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। राजस्व अभिलेख में यथाआवश्यक संशोधन करके संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- 3- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल।
- 4- खण्ड चिकित्सा अधिकारी मुलताई जिला बैतूल।  
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 5- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
- 6- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर,  
जिला-बैतूल